

1131

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT

NEW DELHI,

OA NO 349/2024

IN THE MATTER OF:

YASHPAL SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND

...RESPONDENTS

& ORS.

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit on behalf of Respondent no 7, Director General, Directorate Of Geology and Mining.	1-10
2.	Annexure A Copy of the order dated 22.09.2025	11
3.	Annexure B Copy of the Notification dated 13.05.2025	12-16
4.	Annexure C Copy of the order dated 30.1.2025	17-24
5.	Annexure D Copy of the revenue records.	22-24
6.	Annexure E Copy of the letter dated 29.12.2021	25
7.	Annexure F Copy of the reports dated 27.09.2022.	26-32

Dated: 26.11.2025


Adv Anjali Rajput

Counsel for State of Uttarakhand

1132

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT

NEW DELHI,

OA NO 349/2024

IN THE MATTER OF:

YASHPAL SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND

...RESPONDENTS


& ORS.

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7 DIRECTOR
GENERAL, DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING,
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 22.09.2025

Most Respectfully Showeth:

I Brijesh Kumar Sant aged about 54 years S/o Shri K.M.Sant presently posted as Director General, Geology and Mining Department, Government of Uttarakhand do hereby, in my official capacity state that I am solemnly affirm and state on oath as under:


1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present reply by way of affidavit.
2. That vide order dated 22.09.2025 this Hon'ble Tribunal was pleased to pass allow the respondent no 7 to file reply. Copy the order dated 22.09.2025 is annexed herewith as **Annexure A**.
3. It is submitted at the outset, the deponent denies each averment made in the said application, which is contrary to or inconsistent with what is stated in the present reply, except those that have been specifically admitted. Nothing stated in this reply shall be deemed to be admitted by any reason.



4. That, deponent seeks to place on record its Preliminary Submissions which in are important for adjudication of the present matter.

Preliminary Submissions:

5. It is submitted that in the case of "*Rural Litigation & Entitlement Kendra vs. State of U.P. & Ors. (AIR 1988 SC 2187)*" Hon'ble Supreme Court issued directions prohibiting limestone mining and quarrying. It is appropriate to mention that hon'ble Supreme court has not prohibited stone crushing unit or any other industry.
6. The Ministry of Environment and Forests and Climate Change (MoEF& CC) issued the Doon Valley Notification S.O. 102(E) dated February 1, 1989, which created a regulatory framework for the Doon Valley area. This notification categorized industries into three discrete classes based on their potential for pollution and their impact on the environment. This classification was used to determine whether an industry could be permitted, restricted, or prohibited within the ecologically sensitive Doon Valley area.
7. The MoEF& CC issued the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 (S.O. 1533(E)), mandating prior environmental clearance (EC) for the Project Actives mentioned therein. That this notification states that no project or activity listed in the Schedule to the said Notification, including its expansion or modernization, shall be undertaken without first securing the mandatory EC from the competent authority, as defined by the categorization into Category 'A' (Central Government) or Category 'B' (State Level).
8. It is submitted that Notification dated 13.12.2007 clarified that the Doon Valley Notification dated 01.02.1989 and the EIA Notification dated 14.09.2006 to the extent that the EIA Notification dated 14.09.2006 shall



1134

prevail in respect of Doon Valley area and all industries falling within Orange category shall be permitted within Doon Valley Area.

9. This Notification was amended on 13 December 2007 and again on 6 January 2020. As a result, industries that are not covered under the EIA Notification, 2006 but fall within the Orange Category must be reviewed by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) before approaching the State Pollution Control Board to obtain a No-objection certificate.


10. That CPCB Notification vide its notification dated 07.03.2016 introduced a revised industrial categorization, which resulted in the Stone Crusher Industry being reclassified as an Orange industry (Entry No. 64).

11. It is submitted that Ministry of Environment Forests & Climate Change (MoEF & CC) Amendment Notification dated 06.01.2020 to harmonize the classification of Industries in red/orange/green/white as per the Central Pollution Control Board (hereinafter referred as "CPCB") direction dated 07.03.2016 regarding the Revised Classification of Industrial Sectors.

According to the said Revised Classification of Industrial Sectors, Stone Crushers have been categorized as Orange Category Industries under item no. 64 of the list.

12. It is submitted that now a draft notification dated 21.12.2023 to the Doon Valley Notification issued by the Moef & CC and subsequently final notification dated 13.05.2025 has also been issued which is challenged before Hon'ble High court of Uttarakhand in Writ Petition (PIL) 64/2025. That the copy of the notification dated 13.05.2025 is annexed herewith as **Annexure B.**

13. That project proponent the made application for establishment of stone crusher and storage of sub-minerals in the plant premises along with the



1135


required documents in the prescribed form Schedule-01 to the District Mining Officer Dehradun on 02.08.2022 in accordance with the Uttarakhand Stone Crusher Policy 2021. That upon this application a letter was issued to the office of the District Magistrate, Dehradun, vide letter no. 327 dated 02.09.2022 of for conducting a joint inspection report of the proposed site as per provisions of Clause 06 of Uttarakhand Stone Crusher Policy 202.

14. That District Magistrate, Dehradun vide letter no letter number 24/Mineral- Annu/2021 dated 14.09.2022, constituted Joint committee for conducting a joint inspection report of the proposed/applied site for setting up proposed stone crusher. That joint committee visite the site on 27.09.2022 and the investigation report of the constituted committee was prepared and submitted.

15. It is Submitted that Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun, also conducted site inspection on 03.07.2025 and provided is report to Director, Geology Mining Unit Industries Directorate, Uttarakhand Dehradun.

16. It is Submitted that after all the necessary compliances as per the Uttarakhand Stone Crusher Policy 2021 were complied with, permission for establishment/operation of stone crusher plant of 200 tonne per hour capacity and storage of sub-minerals in the plant premises in Khasra number 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 B, 1326, 1329, 1330, 1325 B total area 1.550 hectare land under village Majrigrant area of Tehsil Doiwala was granted to the project proponent by office memorandum number 2881/VII-A-1/2023-03(24)/2023 dated 4th December, 2023 of Uttarakhand Government Industrial Development Section-1.

17. It is pertinent to mention that the project proponent has challenged present OA before the Hon'ble High Court of Uttarakhand in Writ Petition (MB) no.



1136

16 of 2025 wherein the Hon'ble High Court was pleased to pass following order:


"8. What would be the impact of judgment dated 07.12.2022 passed in O.A. No. 699 of 2022 in pending Original Application filed by respondent no. 3 that can be examined only after inviting counter affidavit. Admittedly, petitioner was not party in O.A. No. 699 of 2022 decided by the NGT on 07.12.2022 but, since O.A. filed by the respondent no. 3 is based upon the said judgment, therefore, this aspect has to be scrutinized whether the NGT was right and competent and have jurisdiction for examining the policy of State Government, which sets norms and criteria in terms of distinct Stone Crusher Units.

12. In the meantime, there is limited interim order to the effect that the minimum distance of 500 meters shall not be applied to non-perennial rivulets.""

Copy of the order dated 30.01.2025 is Annexed herewith as **Annexure C**


Para wise reply:

1. That the contents of para 1 are wrong, false and devoid of any merit. That the applicant has failed to raise any substantial ground for irreparable damage and no grounds have been made out on the issues relating to the environment or violation of environmental norms.
2. Para wise reply to the averments are as follows:
 - a. That the contents of this para do not merit a response as it relates to Notification.



1137

- b. That the contents of this para do not merit a response as it relates to Judgement passed by this Tribunal. It is submitted that the judgement is not applicable to the present case.
- c. That the contents of this para do not merit a response as it relates to the state Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Pulveriser, Hot Mix Plant Policy 2021 dated 11.11.2021.
- d. That the contents of this para, pertains to a judgement passed by this Hon'ble Tribunal, do not necessitate a response. It is submitted that the Project Proponent has preferred a writ petition before Hon'ble High court of Uttarakhand wherein directions passed in Sanjay Kumar Vs. Union of India & Ors., in Writ Petition (MB) No. 16 of 2025 are underconsideration. That the order dated 30.1.2025 is already annexed herewith as Annexure c to this reply.
- e. f. That the contents of these Para are denied as wrong, false and devoid of any merit. Infact, the applicant has tried to mislead this Hon'ble Tribunal by misrepresenting the facts. It is submitted that the project proponent has applied and was granted permission by Industrial Development Section-1, office memorandum number 2881/VII-A-1/2023—03(24) / 2023 dated 04 December, 2023 to establish stone crusher in Village Majrigrant area tehsil Doiwala, Khasra no. 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220 kha, 1326, 1329, 1330, 1325 kha total area 1.550 hectare for capacity of 200 ton/hr for a period of 10 years. It is submitted that as per the revenue records Khasra no 1218 and 1219 are recorded as river under 6 (1) *Jal Magan* Bhoomi and are adjacent to the khasra no 1220. It is submitted that the project proponent's application for permission is strictly limited to Khasra No. 1220 Kha,




1138

comprising an area of 0.1820 hectares. The scope of the current proposal does not extend to or include Khasra Nos. 1218 and 1219. That further, the Executive Engineer of Uttarakhand Irrigation Department has also confirmed that the unit of the project proponent does not fall within the flood submerged area. It is further submitted that Annexure 5 and 6 of the application substantiates this submission. Copy of the revenue records is Annexed herewith as Annexure D

g. & h. That the contents of this Para are denied as wrong, false and devoid of any merit. It is submitted that vide letter no. letter No. 295 / S.A.-II / S.K. Dehradun dated 29.12.2021 by the Executive Engineer, Irrigation Division, Dehradun it is mentioned that there is a huge flow of water in the Jakhan river during the monsoon period and there is no flow of water during lean period. That River Jakhan (Non Perennial river) appears to be in the upstream of Fun Valley mentioned that the copy of the letter dated 29.12.2021 is Annexed herewith as Annexure E. It is submitted the directions issued by this Hon'ble Tribunal in *Kumar vs. State of Uttarakhand* (O.A. No. 699 of 2022) is currently under consideration of Hon'ble High Court on 30.01.2025. that the copy of the order is already annexed herewith as Annexure C.


i. That the contents of this Para are denied as wrong, false and devoid of any merit. It is submitted that as per clause 5 of the Uttarakhand Stone Crusher policy 2021:

Resolving objections on the application 5:



1139

"Within 3 days of receiving the application, an officer authorized by the Director General will publish a notice in the local newspaper, which has wide circulation in the area, at the expense of the applicant for information of the general public. The notice will contain the name, address and complete details of the location of the applicant unit. If any local person / organization / department etc., which falls within the prescribed distance of the proposed plant and is affected by the establishment / operation of the proposed unit or has any objection to the notice, they will submit their objection in writing to the District Magistrate and the District Level Officer authorized by the Director General, within 15 days of the publication of the notice.




If any objection is received regarding the notification, the Chairman of the Committee constituted under Section 6 will provide an opportunity for hearing to the affected parties, take a reasonable decision and submit a report with recommendations to the District Magistrate. The District Magistrate will forward the application along with the report and recommendations of the constituted Committee to the Director General, Geology and Mining Unit."

It is submitted that in compliance to the above, Joint committee report para 8 & 9 annexed at page no 153 of the application, advertisement was published on 31.08.2022 in a recognized national daily newspaper *Rastriya Sahara* for inviting objections, if any, from nearby residents or applicant for the establishment of the stone crusher. It is pertinent to mention that the not even a single objection was received from applicant/any villager at the point when the Joint committee comprising of officers from Revenue Department, Forest Department, Mining Department, and District Administration visited the site for

1140

inspection 27.09.2022 and again on 03.07.2023 by UKPCB. It is submitted that the applicant has tried to mislead this Hon'ble tribunal that the advertisement was published on 21.08.2023. That the copy of the reports of the committee dated 27.09.2022 and again on 03.07.2023 are annexed herewith as Annexure E.

- j. & m. That the contents of this para do not merit a response as it relates to the permissions seeking environmental clearances. It is submitted that permission to set up the stone crushing unit was granted following a thorough inspection by officers from separate departments, in accordance with applicable laws, government directives, and environmental clearances.
- n. to p. That the contents of this Para are denied as wrong, false and devoid of any merit. It is respectfully submitted that the procedure for inviting public objections to the proposed Stone Crusher establishment was followed in accordance with the prevailing policy, and sufficient time was afforded for submissions to the nearby residents or applicant yet no objections were received during the requisite period, It is submitted that applicant's conduct in now initiating the present application subsequent to the grant of final permission strongly suggests a mala fide intent and an abuse of the judicial process.



18. In view of the above-submissions, it is submitted that the applicant filed this Appeal by misrepresenting facts and concealing the impact of the MoEF & CC's Amendment Notifications to mislead the Hon'ble Tribunal. The permissions were issued to the project proponent after complying with required clearances in accordance with the Notification dated 01.08.1989, as subsequently amended on 13.12.2007 and 06.01.2020, as well as the Uttarakhand Stone Crusher Policy of 2021.

1141

19. That the deponent is a responsible government servant and is committed to take all necessary actions to follow the orders of this Hon'ble Tribunal, in letter and spirit.


DEPONENT

Verification:

Verified in Dehradun on this 26...day of November, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct and no part of it is false material has been concealed therefrom.

Identified by

(Bisht 26-11-2025)

(सर्वेक्षण 1982)

श्रीगुरुजी श्रीमान


श्रीमान एवं श्रीमती श्रीमान

देहरादून

उत्तरांचल


DEPONENT

SR. No. 743
Date. 26-11-2025



This affidavit is sworn before me by
sri. Bajesh Kumar Sant
who is identified by Sri. Harsh Pal Singh Bisht
at Dehradun on


26-11-2025
Virender Singh
Advocate & Notary Dehradun

Time - 04.41 P.M

1142

Item No. 09

Court No. 1

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**Original Application No. 349/2024
(IA No 8/2025 & IA No 147/2024)

Yashpal Singh

Versus

Applicant

State of Uttarakhand & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 22.09.2025

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Ajit Sharma & Mr. Kanchan Kumar, Advs. for the Applicant

Respondents: Dr. Ankit Gupta, Adv. for MoEF & CC (Through VC).
Mr. Mukesh Verma & Ms. Vatsala Tripathi, Advs. for UKPCB (Through VC).
Ms. Anjali Rajput, Adv. for R - 1, 4 & 7
Dr. Aman Rab & Ms. Payal Bhatia Mohanty, Advs. for SEIAA (Through VC).
Mr. Aditya Dewan, Ms. Bani Dikshit & Mr. Uddhav Khanna, Advs. for R - 6 (Through VC)**ORDER**

1. IA No. 8/2025 has been filed by the Respondent No. 6 questioning the maintainability of the OA.
2. Learned Counsel for the Applicant seeks a week's time to file reply to the IA.
3. It will also be open to Respondent No. 7 to file reply within the same period.
4. List on 27.11.2025.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

September 22, 2025
dv


 सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263083
CG-DL-E-14052025-263083

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2080]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2025/वैशाख 23, 1947

No. 2080]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2025/VAISAKHA 23, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

का.आ. 2125 (अ).— प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 5409(अ), तारीख 21 दिसंबर, 2023, द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 21 दिसंबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 102 (अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा (iii), (iv) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

(iii) पर्यटन योजना, चरागाह योजना, विकास का आंचलिक महायोजना और भूमि उपयोग योजना, तथा क्षेत्रीय महा योजना, एकीकृत महायोजना सहित कोई अन्य ऐसी योजना राज्य सरकार द्वारा सभी संबंधित राज्य विभागों जैसे पर्यावरण, वन, शहरी विकास, पर्यटन, नगर पालिका, राजस्व, लोक निर्माण, जल संसाधन, बागवानी, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि की सम्यक भागीदारी के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को इसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी और उत्तराखंड राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।"

(IV) जो परियोजनाएं पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अधीन सम्मिलित नहीं हैं, तथापि, जो उद्योगों की नारंगी श्रेणी में आती हैं, उन पर उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विचार किया जाएगा।

(V) पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, जो संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी की गई थी, के अधीन अनुसूची में सम्मिलित परियोजनाओं को उक्त अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

(ख) टिप्पण में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(घ) नारंगी श्रेणी के उद्योग, जो अब उद्योगों की लाल श्रेणी में हैं, जारी रहेंगे और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना कहा गया है) की अनुसूची में आने वाले ऐसे नारंगी श्रेणी के उद्योगों का विस्तार केवल उक्त अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (ii) में दिए गए ऐसे विस्तार से संबंधित विद्यमान उपाबंध के अधीन ही अनुमति दी जाएगी, जिसे समय-समय पर संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांत तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में संबंधित विद्यमान निर्देश समय-समय पर जारी किया गया।

(ड.) उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उन उद्योगों के विस्तार के लिए तंत्र अधिकथित करेगा जो उक्त अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते हैं।"

[फ.सं. 25/6/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेटा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 102(अ), तारीख 1 फरवरी, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई और का.आ. 94(अ), तारीख 6 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

1145

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2025

S.O. 2125(E).— WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 5409(E), dated the 21st, December 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 21st December, 2023;

AND WHEREAS objections and suggestions received from persons in response to the said draft notification have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 102 (E), dated the 1st February, 1989, namely:-

In the said notification, -

(a) for paragraphs (iii), (iv) and (v) the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“(iii) Tourism Plan, Grazing Plan, Master Plan of Development and Land Use Plan, and any other such Plan including Zonal Master Plan, Integrated Master Plan shall be prepared by the State Government with due involvement of all concerned State Departments such as Environment, Forest, Urban Development, Tourism, Municipality, Revenue, Public Works, Water Resources, Horticulture, Panchayati Raj, Rural Development, Pollution Control Board, etc., for integrating environmental concern into it and shall be approved by the competent authority in the State Government of Uttarakhand.”;

(iv) The projects which are not covered under the Environment Impact Assessment Notification issued vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, however, falls under the orange category of industries shall be considered by the Uttarakhand State Pollution Control Board following the due process.

(v) The projects which are covered in the Schedule under the Environment Impact Assessment Notification, issued vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, shall follow the procedure laid down in that notification”.

(b) in the note, for clause (d), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(d) the orange category industries, which are now in the red categories of industries shall be continued and expansion of such orange category industries falling in the Schedule of the

1146
notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA notification) to be allowed only subject to the extant provision pertaining to such expansion as laid down in sub-para (ii) of para 7 of said notification, as amended from time to time, and related extant directions issued in this regard by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time.

- (e) The Uttarakhand State Pollution Control Board shall lay down a mechanism for expansion of the industries referred to in clause (d) which are not falling in the Schedule of the said notification.”

[F. No. 25/6/2012-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) vide S.O. 102(E), dated the 1st February, 1989 and amended S.O. 94(E), dated the 6th January, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2025

का.आ. 2126 (अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, अतः वह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के उस आदेश को जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2125 (अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2007 के अधीन प्रकाशित हुआ था, उन बातों के सिवाय, जो ऐसे विखण्डन से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फ.सं. 25/6/2012-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेटा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 2125(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

1147
NOTIFICATIONNew Delhi, the 13th May, 2025

S.O. - 2126 (E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2125 (E), dated the 13th December, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 25/6/2012-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2125(E), dated the 13th December, 2007.

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND
AT NAINITAL

Writ Petition (MB) No. 16 of 2025

M/s Shree Balaji Stone Crusher.Petitioner.

Versus

State of Uttarakhand
and others.

.....Respondents.

Present:

Mr. Aditya Dewan and Mr. Susheel Kumar, learned counsel for the petitioner.

Mr. Ravi Bisht, learned counsel holding brief of Mr. Aditya Pratap Singh, learned counsel for the respondent no. 2.

Mr. Rajeev Singh Bisht, learned Addl. Chief Standing Counsel for the State.

Hon'ble Mr. Justice Rakesh Thapliyal, J.

1. The instant writ petition has been preferred by the petitioner along with Urgency Application No. 01 of 2025 that matter is urgent one since Original Application No. 349 of 2024 is listed for final hearing before the National Green Tribunal on 07.02.2025 and if the NGT proceeds to pass adverse order against the petitioner based on the impugned order dated 07.12.2022 passed in Original Application No. 699 of 2022 (Sanjay Kumar vs. Union of India and Others), then the petitioner will suffer irreparable loss and injury.

2. Brief facts of the case are that petitioner is a Stone Crusher Unit having its Unit at Khasra No. 1224, 1233, 1225, 1226, 1220 *kha*, Village Majari Grant, Tehsil Doiwala, District Dehradun. It is submitted by learned counsel for the petitioner that petitioner's Stone Crusher Unit was established, after completing all the formalities as per the Policy of the State of Uttarakhand and after obtaining necessary approvals and clearances from relevant authorities including NOC from Irrigation Department.

3. Learned counsel for the petitioner submits that one Yashpal Singh moved an Original Application under Section 14 read with

1149

Section 18 of the National Green Tribunals Act, 2010, impleading petitioner as one of the respondent with the following reliefs:

“a. Direct the State Government to ensure that no stone crushers are established within 500 meters of the embankment of any river within the State, whether perennial or non – perennial:

b. Direct State Government to prepare a Master Plan of Doon Valley in terms of MoEF Notification dated 06.01.2020

c. Quash the permission dated 04.12.2023 as amended on 12.12.2023 issued by the State Government permitting the establishment of stone crusher in village Majri Grant, Tehsil Doiwala, District Dehradun.

d. Quash the Environment Clearance dated 01.02.2024 issued to the respondent no. 6 w.r.t. establishment of stone crusher in village Majri Grant, Tehsil – Doiwala, District – Dehradun.

e. Quash the consent to establish dated 18.01.2024 issued to the respondent no. 6.

f. Direct that an assessment of carrying capacity of Doon Valley be undertaken by a Government agency of repute.”

4. Learned counsel for the petitioner further submits that the aforesaid Original Application is based upon the judgment passed by the Tribunal dated 07.12.2022 in Original Application No. 699 of 2022 (Sanjay Kumar Vs. Union of India and others), wherein the Tribunal proceeded to deal with the question “whether location of Stone Crushers and other such Units at a distance of 50 meter from non perennial rivers when such establishments are prohibited upto 500 meters from perennial

rivers is permissible". He further submits that by dealing with the aforesaid issue the Tribunal also gave reference of order dated 29.10.2018 passed in Original Application No. 358 of 2019 (Bhag Singh vs. Union of India and others), wherein, it was held that the perennial and non perennial rivulets could not be distinguished as adverse impact of location of Stone Crushers close to water bodies was same and protection was required not only of perennial but also non perennial rivulets. Subsequently, a review application No. 34 of 2019 was filed in Original Application No. 358 of 2019 (Bhag Singh vs. Union of India and others) in the light of observations of Hon'ble the Supreme Court after appointing expert committee and earlier order dated 10.07.2019 was reiterated, the reference of which has been given in paragraph-10 of the order passed by NGT dated 07.12.2022 in O.A. No. 699 of 2022.

5. Learned counsel for the petitioner submits that the issue in O.A. No. 358 of 2019 (Bhag Singh vs. Union of India and others) was raised before the Himachal Pradesh High Court in Writ Petition No. 8459 of 2019 and Writ Petition No. 2067 of 2019, wherein on 29.08.2019, an interim order was passed that the prohibition of 100 meters may not be applied to non perennial rivulets. He further submits that the interim order dated 29.08.2019 was made absolute by the Himachal Pradesh High Court subsequently, by order dated 11.3.2020 copy of which is enclosed in the writ petition as Annexure No. 20. He further submits that since Original Application filed by Yashpal Singh is based upon the order passed by the NGT dated 07.12.2022 in Original Application No. 699 of 2022, which is based upon earlier order of NGT in Original Application No. 358 of 2019 (Bhag Singh vs. Union of India and others), which was challenged before the Himachal Pradesh High Court, therefore, NGT may

pass an adverse order against the petitioner as the Original Application is listed for final hearing on 07.02.2024 and if the order passed by the NGT dated 07.12.2022 in O.A. No. 699 of 2022 is not stayed, then the petitioner will suffer irreparable loss.

6. Learned counsel for the petitioner further submits that the NGT by the order dated 07.12.2022 in Original Application No. 699 of 2022 directed the State Government to revisit its policy/regime to do away with such distinction for protection of all streams, water courses/rivers and this direction will certainly affect the pending proceeding of original application filed by respondent no. 3, wherein, respondent no. 3 sought quashing of environment clearance dated 01.02.2024 issued to petitioner.

7. Mr. Rajeev Singh Bisht, learned Additional C.S.C. submits that he has no instructions whether judgment dated 07.12.2022 passed by the NGT in O.A. No. 699 of 2022 has been assailed by the State Government or not. For that purposes he seeks some time to get instructions in the matter.

8. What would be the impact of judgment dated 07.12.2022 passed in O.A. No. 699 of 2022 in pending Original Application filed by respondent no. 3 that can be examined only after inviting counter affidavit. Admittedly, petitioner was not party in O.A. No. 699 of 2022 decided by the NGT on 07.12.2022 but, since O.A. filed by the respondent no. 3 is based upon the said judgment, therefore, this aspect has to be scrutinized whether the NGT was right and competent and have jurisdiction for examining the policy of State Government, which sets norms and criteria in terms of distinct Stone Crusher Units.

9. All these aspects can only be considered after inviting counter affidavit.

1152

10. Let respondents may file counter affidavit within three weeks. One week thereafter is granted to the petitioner to file rejoinder affidavit.
11. List on 18.3.2025.
12. In the meantime, there is limited interim order to the effect that the minimum distance of 500 meters shall not be applied to non perennial rivulets.

(Rakesh Thapliyal, J.)
Vacation Judge.

30.01.2025

SKS

भेदोदय

Annexure D

संलग्न पत्रांक 387/ना. ना (जांच-स्टोन-केशर) 2022-23
दिनांक 22/9/2022 का प्रालिप्त उपजिलाधिकारी डोडवाला बाबत आवेदक,
श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार आदि द्वारा तहसील
डोडवाला के ग्राम भाजरीगाट के कुल 1.6270 हे. भूमि पर 200 टन प्रतिवर्ष
क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लास्टर पारिस्तर में उपर्युक्त शर्तों पर
क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 2-8-2022
के सम्बन्ध में जांच काठमा निम्न प्रकार है।

1.- ग्राम भाजरीगाट परगना परवाहन तहसील डोडवाला जिला देहरादून के
खाता नम्बर 2157 पर क्रमिक खसरा नम्बर (अंतरक) 1220 ख/1820 हे,
1223/1430, 1225/1500, 1226/2820, 1316 ख/077, 1326/1700 कुल
खसरा 1.0040 हे लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह नि कुराली रुद्रप्रभाग के तर्फ
राजस्व अधिकारियों के अधिकृत है।

2.- ग्राम भाजरीगाट के खाता 737 के भूमि खसरा नम्बर 1224/1500, 1233/
01210 कुल 0.2710 हे, खाता 1417 के भूमि खसरा नम्बर 1329/1540
1330/1210 कुल 0.2750 हे, खाता 2086 के भूमि खसरा नम्बर
1325 ख/1540 पर लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह नि कुराली रुद्रप्रभाग
का नाम वती (सकलभूमि भूमिधर राजस्व अधिकारियों के अधिकृत है)

3.- खातेदार लक्ष्मी सिंह पुत्री स्व जसपाल सिंह नि पाला कुराली
रुद्रप्रभाग द्वारा पत्रा बिलेस्य दिनांक 4/7/2022 के द्वारा
भूमि खसरा नम्बर 1224/1500, 1233/1210, 1223/066, 1225/1500
1226/2820, 1220 ख/1820, 1223/077, 1316 ख/077, 1326/1700
1329/1540, 1330/1210, ~~1325~~ 1325 ख/0770 हे कुल 1.6270 हे
भूमि में श्री बालाजी स्टोन केशर साझेदारी फर्म द्वारा साझेदार
मोहित कुटोला पुत्र स्व आर. एन. कुटोला, पुष्पा कुटोला प. कुलदीप

बुटौला निवासी जगजिबाला वलीप कुमार पुत्र जोवर्धन हवलदार
 निभाजरीगाँव प्रकाश सिंह धीत्रान पुत्र त्रिलोक सिंह धीत्रान निरक्षर
 जावरी को 12 वर्ष के लिए किराये पर दे दी है पट्टा किलोवॉट धात्राजति
 बलान्त है

खसरा नम्बर 1220 की सीमा से जूनि 1978 नम्बर 1218 व
 1219 राजस्व शप्रे से लगते हुए है जो श्रेणी 6(1) जलसंग्रह
 जूनि के रूप में नदी के नाम से राजस्व कृषि क्षेत्रों के अंकित है

5:- राजस्व शप्रे के उपरोक्त खसरा नम्बरों से लगता है का कोई
 धार्मिक स्थान, वन जूनि व रेल मार्ग नहीं है

आवका सेवा के उपरिष्ठ है

28/11/2022
 प्रमुख निधा
 रा. ड. डि.
 जावरीगाँव

स्टोन फ्रेजर हेतु आवेदित होत उत्तराखण्ड स्टोन फ्रेजर स्कीमिंग
 प्लान्ट, मोबलिस स्टोन फ्रेजर, मोबलिस स्कीमिंग प्लान्ट, पल्लवराजिर
 प्लान्ट अनुज्ञा नीति 2021 के अध्याप - 1 में उल्लिखित हुए
 स्थल से सानकू इरीयाँ निम्नवत है। जो गूगल अर्थ के मध्य
 से ली गई है।

- 1- सरकारी वन से इरी - 400 मी से अधिक
- 2- (Perennial जॉवेल) से इरी - 500 ~~मी~~ मी. से अधिक
- 3- पषीती नदी (Non-Perennial - 60 मी. से अधिक
 जॉवेल) से इरी
- 4- सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर - 300 मी. से अधिक
 मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आदि) से इरी

300 मी. से अधिक

6- आबादी से इरी 11550 भी. से अधिक

स्टोन क्वेशर की स्थापना हेतु आवेदित स्थल का जी. पी. एल. कॉन्डिनेट निम्नवत है।

P1 - N30°08'40.7832"
E78°09'45.3168"

P2 - N30°08'43.1088"
E78°09'44.9172"

P3 - N30°08'42.342"
E78°09'44.82"

P4 - N30°08'42.6732"
E78°09'46.5732"

P5 - N30°08'42.5616"
E78°09'42.0408"

P6 - N30°08'42.7488"
E78°09'39.204"

डाटा का कॉन्डिनेट — N 30°08'43.1804"
E 78°09'45.9288"

तदनुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर श्रेष्ठित।

DMO Ddn

कृपया उक्त प्रकल्प की सम्पुर्ण जानकारी प्राप्त होने पर कृपया उक्त प्रकल्प अर्थात् कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को आख्या प्रेषित की जाये।



Panchitna
12-12-2022

प्रतिमा
रवनीज मोहरी
तहसील (डोरियाला)

1100

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता-द्वितीय
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सेवामें,

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत माजरी ग्रान्ट

विकासखण्ड डोईवाला, जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

पत्रांक:- 295 /स0अ0-द्वितीय/सि0ख0दे0/
महोदय,

दिनांक:- 29/12/2021

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 27.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा (फन वैली) के पास अवस्थित जाखन नदी रीच के संबंध में नदी Perennial अथवा Non Perennial की स्थिति के संबंध में जानकारी माँगी गयी थी।

जैसा की सर्वविदित है कि उक्त स्थल पर मानसून अवधि में जाखन नदी में भारी मात्रा में पानी का प्रवाह रहता है। उक्त स्थल पर Lean Period में जाखन नदी में पानी प्रवाहित नहीं होता है।

अतः प्रश्नगत क्षेत्र फन वैली के अपस्ट्रीम में जाखन नदी Non Perennial प्रतीत होती है।


(के0 एस0 चौहान)
सहायक अभियन्ता-द्वितीय
सिंचाई खण्ड, देहरादून

शेखा 387/ना0ना0(जॉच स्टोन केशर)/2022-23

दिनांक: 21 सितम्बर, 2022

सेवा में,

Annexure F


- 1-प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून।
- 2-महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला देहरादून द्वारा प्रधिकृत अधिकारी जिला खान अधिकारी देहरादून।

विषय:-

आवेदक श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरुकृपा कॉम्प्लैक्स न्यू रोड अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज जिला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रांतर्गत खसरा संख्या-1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट पत्वरार्डजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 के संबंध में।


उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या-24/खनिज-अनु0 -2022 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या-327/स्टोन केशर/भू0खनि0ई0-जि0कार्या0देदून/2022-23 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के द्वारा आवेदक श्री बालाजी स्टोन केशर पार्टनर श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय फ्लोर गुरुकृपा कॉम्प्लैक्स न्यू रोड अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज जिला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रांतर्गत खसरा संख्या-1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1316ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, 1223 कुल क्षेत्रफल 1.6270 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट पत्वरार्डजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2022 पर समिति स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त जॉच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के काम में आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 27.09.2022 को समय 3:00 बजे उक्त स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त जॉच आख्या तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि जॉच आख्या जिलाधिकारी महोदय देहरादून को प्रेषित की जा सके।


(युक्ता मिश्र)
उप जिलाधिकारी
डोईवाला।

प्रतिलिपि:-

- 1:- तहसीलदार डोईवाला को इस निदेश के साथ प्रेषित कि दिनांक दिनांक 27.09.2022 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिगाम करना सुनिश्चित करें।


उप जिलाधिकारी
डोईवाला।

1158

स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण

आख्या (अनुसूची-2)

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम :- श्री बालाजी स्टोन क्रेशर।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फार्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम) : श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला, श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय पलोर गुरुकृपा कॉम्प्लैक्स न्यू रोड ऑपोजिट एम0के0पी0 कालेज देहरादून।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थल का विवरण :- कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्र संख्या 387/ना0ना0 (जॉच)-स्टोक्रेशर/2022-23 दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के क्रम में स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2022 को किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	जनपद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है0में)
01	माजरीग्रान्ट	डोईवाला	देहरादून	1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख,	कुल रकबा 1.6270 है0-0.077 है0 (खसरा संख्या 1316ख रकबा 0.077 है0 एक सहत खण्ड में होने के कारण) = 1.5500 है0 मूमि स्टोन क्रेशर हेतु उपयुक्त पायी गयी।

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घण्टा) :- 200 टन/प्रतिघण्टा। (आवेदन पत्र के अनुसार)
5. आवेदन शुल्क का विवरण :-

क्र0सं0	चालान संख्या (ई-चालान)	घनराशि (रू0 में)	दिनांक
01	08530722E0057483	10000.00	26.07.2022

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी :- श्री बालाजी स्टोन क्रेशर में चार पार्टनर है:-
 1. श्री दलीप कुमार को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300030387 दिनांक 20.07.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 2. श्री प्रदीप सिंह धीमान को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300030390 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 3. श्रीमती पुष्पा बुटोला पत्नी श्री कुलदीप बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300030152 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 4. श्री मोहित बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300034935 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी :- श्री बालाजी स्टोन क्रेशर में चार पार्टनर है:-
 1. श्री दलीप कुमार को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के प्रमाण पत्र संख्या 574 दिनांक 10.05.2002 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 2. श्री प्रदीप सिंह को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश के प्रमाण पत्र संख्या 2386 दिनांक 24.02.1999 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 3. श्रीमती पुष्पा बुटोला पत्नी श्री कुलदीप बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0100212125 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

for

Signature

वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

Practitioner

4. श्री मोहित बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0100212116 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकारान का दिनांक :- आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहाय" में दिनांक 31.08.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।
9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या :- स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तथा निरीक्षण दिनांक तक सम्बन्धित कार्यालयों में किसी भी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण दिनांक :- दिनांक 27.09.2022।
11. प्रस्तावित संयंत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष मौका/निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी :-

क्र. सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौक निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
01	सरकारी वन	100 मीटर	400 मीटर से अधिक	स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया तथा मौके पर उपलब्ध राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखानुसार दूरी अंकित की गयी है।
02	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मीटर	स्टोन क्रेशर हेतु प्रस्तावित स्थल जाखन नदी से 60 मी० की दूरी पर स्थित है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 295/स०अ०-द्वितीय/सि०ख०दे० दिनांक 29.12.2021 जो ग्राम प्रधान पंचायत माजरी ग्रान्ट विकासखण्ड डोईवाला जनपद देहरादून को सम्बोधित है, में उल्लिखित किया गया है फन वैली के अपस्ट्रीम में जाखन नदी Non Perennial प्रतीत होती है। (पत्र की प्रति संलग्न)	
03	(ख) Non Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गटेरा) के किनारे से	50 मीटर	60 मीटर की दूरी पर।	
03	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मन्दिर, मजिस्ट, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	
04	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	
05	आवादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	

[Signature]

[Signature]

उप क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग

[Signature]

[Signature]

1160

12. राजस्व विभाग की आख्या :-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण :-

क्र० सं०	ग्राम	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	माजरीग्रान्ट	डोड़वाला	2157	खसरा 1220ख, रकवा 0.1820 है०, खसरा 1223मि० रकवा 0.0660 है०, खसरा 1225 रकवा 0.1500, खसरा संख्या 1226 रकवा 0.2820 है०, खसरा 1316ख रकवा 0.077 है०, खसरा 1326 रकवा 0.1700 कुल रकवा 0.927 है०	1 'क' सक्रमणीय भूमिधर	लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह निवासी कुराली रुद्रप्रयाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है।	0.927-0.077 है० = 0.850 है०	आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोट्रॉईज्ड शपथ पत्र दिनांक 12.05.2022 के अनुसार स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित भूमि किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक नहीं है।
			737	खसरा संख्या 1224 रकवा 0.1500, खसरा सं० 1233 रकवा 0.1210 कुल रकवा 0.2710 है०,		खातेदार लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह निवासी पाला कुराली रुद्रप्रयाग द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 04.07.2022	0.2710 है०	
			1417	खसरा सं० 1329 रकवा .1540 है०, 1330/.1210 कुल रकवा 0.2750 है०,			0.2750 है०,	
			2086	खसरा संख्या 1325ख रकवा 0.1540 है०			0.1540 है०	
						कुल रकवा	1.550है०	

(ख) :-आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर सम्बन्धित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोट्रॉईज्ड शपथ पत्र :-आवेदक द्वारा सम्बन्धित भूस्वामी लक्ष्मी सिंह पुत्री जसपाल सिंह निवासी पाला कुराली रुद्रप्रयाग के साथ विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख संख्या IN-UK92815154174470U दिनांक 04.07.2022 प्रस्तुत किया गया है।

(ग) :-आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/नोट्रॉईज्ड शपथ पत्र :- संलग्न है।

(घ) :-प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- वर्तमान में प्रभावित नहीं हैं। अनुज्ञा समय-समय पर मा० न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के आदेशों के अधीन रहेगी।

13. वन विभाग की आख्या :-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी :- 400 मी० की अधिक दूरी पर

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सैंचुरी से दूरी :- 10 किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी पर है।

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या :- प्रस्तावित स्थल वृक्ष विहीन क्षेत्र है।





वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग





(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या ना होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- प्रस्तावित क्षेत्र भारत सरकार के नोटिफेशन संख्या S.O.923(E) दिनांक 06.10.1988 में दिये गये प्राविधानानुसार दून वैली के अन्तर्गत पड़ता है।

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

(क) :- नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 (क) के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 में) :- वर्तमान में प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर,स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 में मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल कुल 0.75 है0 निर्धारित है। आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु कुल 1.6270 है0 भूमि पर आवेदन किया गया है, परन्तु मौका निरीक्षण के दौरान खसरा संख्या 1316ख रकबा 0.077 है0 एक सहत खण्ड में होने के कारण पृथक किये जाने से कुल रकबा 1.550 है0 भूमि स्टोन क्रेशर हेतु उपयुक्त पायी गयी है, जो नीति के अनुकूल है।

(ख) :- प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन में) :- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार एक समय में कुल 10,80,000 टन उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता है।

(ग) :- नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में) :- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित प्लांट की क्षमता 200 टन प्रतिघण्टा के अनुसार नीति के बिन्दु संख्या 09 (घ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक भण्डारण क्षमता (200X10X360) कुल 7,20,000 टन आंगणित होती है।

(घ) :- नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 (ङ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रसिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में) :- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार एक समय में कुल 10,80,000 टन उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता है।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध में टिप्पणी :- प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नोट्राईज्ड स्टाम्प पेपर संख्या IN-UJ00923581561164U दिनांक 18.08.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत खनिज पट्टा जैसे गढ़वाल मण्डल विकास नियम, रीवत ट्रेनिंग, निजी पट्टा नियम व शासन द्वारा स्वीकृत पट्टे आदि से कच्चे माल की आपूर्ति करेगा।"

3. (क) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञापित प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी :- आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 31.08.2022" को विज्ञापित प्रकाशित की गयी है।

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञापित के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नहीं, यदि की गयी है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी :- स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त व निरीक्षण दिनांक तक इस कार्यालय में किसी भी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।


4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स :- N 30° 08'42.45" तथा E 78° 09'46.84" है।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्धदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :- कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर के आवेदक के नाम जनपद देहरादून में वर्तमान में न ही कोई खनन पट्टा/भण्डारण स्वीकृत है तथा न ही कोई अर्धदण्ड अधिरोपित है।






वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग


An

1162

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- वर्तमान में प्रभावित नहीं हैं। अनुज्ञा समय-समय पर मा0 न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के आदेशों के अधीन रहेगी।

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- प्रस्तावित स्थल मौके पर समतल है तथा स्टोन क्रेशर प्लान्ट की स्थापना/संचालन हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो :-स्टोन क्रेशर की स्वीकृति/स्थापना के उपरान्त आवेदक द्वारा निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

1. आवेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख यदि गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII-I/2021/158 ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना होगा।
4. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पत्वारिज र प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 08(1) के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 12 के प्राविधानानुसार 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र हेतु आवेदन/अनुज्ञा शुल्क की धनराशि रू0 10.00 लाख निर्धारित है। वर्तमान में आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 04 के प्राविधानानुसार आवेदन शुल्क रू0 10,000/-की धनराशि ई-चालान संख्या 08530722E0057483 दिनांक 26.07.2022 के माध्यम निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की गयी है तथा आवेदक द्वारा अवशेष अनुज्ञा शुल्क रू0 22,00,000 (रू0 बाईस लाख मात्र) को धनराशि को प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त/ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
6. स्टोन क्रेशर हेतु प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत उग प्वाइंट से 50 मीटर से अधिक दूरी पर हाईटेशन बिजली का पोल व लाईन जा रही है तथा प्रस्तावित स्थल के मध्य दो सिंचाई के गूल नहर स्थित है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अति आवश्यक होगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्टोन क्रेशर हेतु आवेदित स्थल दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचित दून वैली क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या B-29012/ESS(CPA)/2015-16 दिनांक 07 मार्च, 2016 द्वारा निर्देशित उद्योगों के श्रेणीवार विभाजन में स्टोन क्रेशरों को नारंगी श्रेणी में (Pollution Index-50 में अंकित होने के कारण) अंकित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.01.2020 द्वारा ताल, नारंगी, हरित तथा सफेद श्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण को दून घाटी अधिसूचना में प्रतिस्थापित कर दिये जाने के फलस्वरूप दून घाटी में राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर नारंगी श्रेणी के उद्योगों, जिसमें स्टोन क्रेशर भी सम्मिलित है, की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान है, परन्तु आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु राज्य स्तर पर गठित



वन क्षेत्राधिकारी
बड़कोट रेंज
देहरादून वन प्रभाग





1163


पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति अद्यतन प्राप्त नहीं की गयी है। यहाँ यह समीचीन होगा कि वर्तमान में राज्य व राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) की समिति गठित नहीं है।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1075/VII-A-1/2021-03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोगाईल स्टोन क्रेशर, मोगाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के प्राविधानानुसार आवेदक श्री यालाजी स्टोन क्रेशर प्रो० श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह धीमान, श्रीमती पुष्पा बुटोला एवं श्री मोहित बुटोला निवासी द्वितीय पलोर गुरुकृष्ण कॉम्प्लेक्स न्यू रोड ऑपोजिट एम०के०पी० कालेज देहरादून को तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 1224, 1233, 1223, 1225, 1226, 1220ख, 1326, 1329, 1330, 1325ख, कुल 1.550 हे० भूमि पर 10 वर्ष की अवधि हेतु 200 टन प्रतिघण्टा क्षमता का स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लांट परिसर में कुल 10,80,000 टन उपखनिज भण्डारण क्षमता की अनुज्ञा हेतु आवेदित स्थल नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप/उचित दूरी पर स्थित होने तथापि आवेदक द्वारा "राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति अद्यतन प्राप्त न किये जाने" के दृष्टिगत गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्णयार्थ सादर प्रेषित है।


 क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक
 तहसील डोईवाला।


 खनिज मोहरिर
 तहसील डोईवाला।


 प्रभाषीय वन्यजीव संरक्षण समिति
 वन विभाग
 देहरादून वन प्रभाग


 प्रभारी मिना खान अधिकारी/सर्वेक्षक
 भूतत्व एवं भू-संसाधन विभाग
 भूतत्व एवं भू-संसाधन विभाग
 इण्डियन मिनेशालस उत्तराखण्ड,
 देहरादून


 तहसीलदार
 डोईवाला।

महोदय, Ex En की Report के
 उपरान्त निर्णय लेना जाना उचित
 उपजलाधिकारी
 डोईवाला।
 28/11/25